ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-2* March- 2021
Innovation The Research Concept

जनपद देहारदून में अनुसूचित जाति के राजनीतिक अधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Analytical Study of The Political Rights of Scheduled Castes In District Dehradun

Paper Submission: 05/03/2021, Date of Acceptance: 21/03/2021, Date of Publication: 25/03/2021

प्रीति चौहान
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
महिला महाविद्यालय,सतीकुण्ड
कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड
भारत

शशि प्रभा
प्राचार्या,
राजनीति विज्ञान विभाग,
महिला महाविद्यालय,सतीकुण्ड
कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड
भारत

सारांश

भारतीय समाज में, शूद्र, अछूत, दलित या अनुसूचित जाति के नाम से सम्बोधित की जाने वाली जातियां परम्परागत रूप से सामाजिक भेदभाव के कारण सामाजिक, आर्थिक एंव राजनैतिक जीवन में समान रूप से भाग लेने में शताब्दियों तक वंचित रही है। यद्यपि भारतीय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में इन जातियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, तथापि शोषण, अत्याचार, विभिन्न सामाजिक–आर्थिक नियोग्यताओं एवं अस्पृष्यता के व्यवहार के कारण यह जातियां आर्थिक दृष्टि से भी निम्नतम स्थिति में जीवन यापन करने के लिये विवश रही है।

In Indian society, the castes referred to as Shudras, untouchables, Dalits or Scheduled Castes have traditionally been deprived for centuries to participate equally in social, economic and political life due to social discrimination. Although the role of these castes has been important in the Indian socioeconomic system, due to exploitation, atrocities, various socio-economic employments and untouchability, these castes have been forced to live in economically lower condition.

मुख्य शब्द : अनुसूचित जाति की स्थिति, राजनीतिक सहभागिता, औपचारिक व्यवस्था, राजनीतिक स्तर में वृद्धि, आर्थिक समानता आदि।
Scheduled Caste Status, Political Participation, Formal System, Increase In Political Level, Economic Equality Etc.

प्रस्तावना

लोकतन्त्र का आशय है शासन की शक्ति जनता में निहित होना और इस उदेदश्य से लोकतन्त्र एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्वान्त को स्वीकार करते हुये राजनीतिक समानता का प्रयत्न करता हैं लेकिन व्यवहारिक अनुभव से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि राजनीतिक समानता की घोषणा और औपचारिक व्यवस्था कर देने मात्र से व्यवहार मे सभी व्यक्ति समान नही हो जाते है सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति राजनीतिक क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और जब तक सामाजिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान महत्व प्राप्त न हो और अधिकतम सम्भव सीमा तक आर्थिक समानता की व्यवस्था न हो राजनीतिक समानता एक भ्रम बनकर रह जाती है। लोकतन्त्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना आवष्यक हो जाता है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति रूप में ही होता है। जाति, रंग, लिंग, सम्पत्ति और धर्म के भेद के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते है। तथा समान अधिकार एंव अवसर का उपभोग करते है।

भारतीय सामाजिक एंव आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित एक आधारभूत केन्द्रिय तथा महत्वपूर्ण सच्चाई हर तरफ व्याप्त जाति व्यवस्था है। जिसकी सबसे बडी षिकार अनुसूचित जातियां है। (संतोस 199) अनुसूचित जाति के लोगो को राजनीतिक क्षेत्र में सब प्रकार के अधिकारो से वंचित रखा गया है। उन्हे षासन के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने, कोई सुझाव देने, सार्वजनिक सेवाओं के लिये नौकरी प्राप्त करने या राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नही दिया गया। (गीता, 2241)

इस स्थिति को देखते हुये स्वतंत्रोत्तर संविधान निर्माताओ ने स्वतंत्र भारत में सामाजिक एंव आर्थिक न्याय पर आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था की

स्थापना का निश्चय किया ताकि भारत में सभी वर्गो के लोगो को विकास एंव उन्नति के समान उपलब्ध हो सकें।

स्वाधीनता के पष्चात अनूसूचित जाति को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम एंव योजनायें बनायी गयी एंव विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया ताकि उनके आर्थिक एंव राजनीतिक स्तर में वृद्धि करके उनके सामाजिक स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के स्तर में वृद्धि हुई, उनके शैक्षिक एंव आर्थिक स्तर में परिवर्तन आया तथा राजनीतिक क्षेत्रों मे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। (केतकर) अनुसूचित जातियों की चुनाव में राजनीतिक सहभागिता का स्तर कम है। किन्तु अनुसूचित जातियों में मतदान में भाग लेने का स्तर अधिक है।

महत्व

भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो अनूसूचित जातियो के राजनैतिक अधिकार अत्याधिक महत्व रखते है। समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग को समाज में उचित स्थान दिलाने, राष्ट्रीय जनजीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित करने तथा विभिन्न वर्गो के मध्य समानता की मनोवैज्ञानिक धारणा विकसित करने के उद्देष्य से भारतीय संविधान में समानता के मान्य सिद्धान्तो एंव आदर्षो के अनुरूप समान मूल अधिकारों एवं स्वतन्त्र न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अनुसूचित जातियों को संरक्षण प्रदान करने तथा इनकी सामाजिक, आर्थिक, षैक्षिक एंव राजनैतिक स्थिति में सुधार के लियें आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी ह

अध्ययन के उद्देश्य

1. जनपद में अनुसूचित जाति की राजनीतिक स्थिति का पता लगाना।
2. देहरादून जनपद में अनुसूचित जाति की राजनीतिक प्रणाली की समझ का पता लगाना।
3. देहरादून जनपद में अनुसूचित जाति की राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन करना।
4. देहरादून जनपद में अनुसूचित जाति के लोगो में अधिकारों के प्रति जागरूकता के स्तर का पता लगाना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय एंव शोध प्रविधि

प्रस्तावित शोध क्षेत्र हिमायल की पर्वत श्रृंखलाओं एंव शिवालिक पहाडिंयो के अंचल में बसा देवभूमि के रूप में प्रतिष्ठित देहरादून जनपद उत्तराखण्ड प्रदेश के प्रमुख जनपदों में से एक है। देहरादून जनपद ब्राहय एंव मध्य हिमालय के बीच स्थित दून घाटी में बसा है। इसका आकार द्रोण जैसा है। 1817 में इसे जिला बनाकर मेरठ मण्डल के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था। 1975 से यह गढवाल में है। देहरादून सयुक्त प्रांत के मेरठ मण्डल या डिवीजन का सबसे उत्तरी जिला है। यह 77^0 75′ और देशान्तर पूर्व तथा 29^0 57′ व 312 अंक्षाश उत्तर के बीच 1,193 वर्गमील में फैला है। इसमें दो क्षेत्र है। एक तो दून खास जो शिवालिक पहाड़ी और हिमालय की बाहरी श्रृंखला के बीच खुली घाटी में है। तथा दूसरा जौनसार भाभर का पहाड़ी परगना है। जो पहाड़ ओर घाटियों के रूप में सिरमौर व टिहरी रियासत के बीच या चापरा या फच्चर की तरह धसा है। तथा दून के उत्तर –पश्चिमी किनारे से लगा है।

(रावत पृष्ठ सं0– 3)

2011 के अनुसार देहरादून में अनुसूचित जाति की जनसंख्या

कुल	पुरूष	स्त्री
228901	120430	108471

जनपद देहरादून में साक्षर व्यक्ति तथा साक्षरता का प्रतिषत

वर्ष	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता का प्रतिषत		
2011	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
	702216	557290	1259506	89.40	78.53	84.25

शोध अध्ययन हेतू प्राथमिक एंव द्वितीयक स्त्रोतों को समान महत्व दिया गया है। अतः किसी भी अध्ययन को व्यवस्थित, तार्किक एंव त्रुटि रहित बनाने के लिए एक निशचित पद्धति का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अतः सामाजिक अनुसन्धान की सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग प्रस्तुत अध्ययन के लिये किया गया है।

अनुसूचित जाति के राजनीतिक अधिकारो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक थी। अपनी जीविका हेतू द्विजातियों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी हीन अवस्था का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। कि बोधायन ने उनकी हत्या करने वाले के लिए उसी दण्ड की व्यवस्था की है जो कि कौवे, उल्लू, या मेंढक और कुत्ते इत्याादि के हत्यारे को मिलता था। मनु ने शूद्रों से वेतन अथवा बिना वेतन दास कार्य कराने का निर्देष दिया था, क्योकि ब्राह्मणो की सेवा के लिए ही उनकी सृष्टि की थी। मनु ने उनके जीवन पर्यन्त दास्यभाव और परतन्त्रता की पुष्टि करते हुए दासत्व से उनकी मुक्ति असम्भव बतायी है। इस प्रकार शूद्र की आर्थिक स्थिति द्विजातियों पर निर्भर थी उसकी परित्यकत वस्तुओं से ही जीवनयापन करते थे। षूद्रों की व्याक्तिगत जीवन या सम्पत्ति उच्च वर्गो के लिए ही थी। जहां तक शैक्षणिक अधिकारों का प्रष्न है, उसे उपनयन का अधिकार नही था। यहा तक कि वैदिक मंत्रों के श्रवण मात्र से उनके कान में पिघला सीसा तथा उच्चारण करने उसकी जिह्वा काटने का निर्देश दिया गया था।(ध्यानी 213) 3000 वर्षो से भी अधिक से स्तंभित सामाजिक व्यवस्था की योजना के विभिन्न जातियों और समुदायों की वृद्धि एवं विकास पर व्यापक प्रभाव थे। उदाहरण के लियें उच्च ज्ञान के एक मात्र अभिरक्षण ब्राहमण बौद्धिक लक्ष्यों के लिये विशेष अंतर्बोध के साथ उच्च रूप से परिष्कृत समुदाय में विकसित हुए। दूसरी ओर सभी प्रकार के सामाजिक, षैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अभाव निरंतर ग्रस्त शूद्रों ने अषिक्षित देहातियों के अनाकर्षक लक्षक अर्जित किये। परम्परागत भारतीय समाज में सामाजिक पिछडापन, जाति व्यवस्था का सीधा परिणाम था और इस

अशक्त करने वाली बाधा ने आगे सीधे ही विभिन्न उन्य प्रकारों के पिछड़ेपन को जन्म दिया। (एम0एन0 पृ0 55) अनुसूचित जातियों के कर्तव्यों एंव निर्योग्यताओं का अध्ययन करने से उनकी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थिति की कल्पना की जा सकती है।

निष्कर्ष

राजनीति, सामाजिक परिवर्तन का अमोघ साधन है। अधिकतर अनूसुचित जाति के विकास के कार्यक्रम में न तो भागीदारी होती है और न ही इन्हे राजनीतिक लाभ मिल पाता है, अनुसूचित जाति की राजनीतिक सहभागिता में कमी से देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक किसी भी प्रकार की योजना में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। अनुसूचित जाति की दयनीय स्थिति में तभी सुधार होगा और वे सुयोग्य नागरिक बनने में तभी सफल होंगे जब अनुसूचित जाति राजनीति के प्रति सजग होगी

स्वतन्त्रता के पूर्व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की स्थिति दयनीय थी। उन्हे अधिकार बोध होने का अवसर नही मिल पाया था। किन्तु स्वतन्त्रता के पष्चात इन्हे ज्ञान हुआ कि इनका भी कुछ अस्तित्व है। आरम्भ की जातिये व्यवस्था के आधार पर असवर्ण परम्परागत रूप से नही जीना चाहते थे। निम्न जातियो को भी अपने स्वत्व का बोध हुआ। सदियों से प्राप्त होने वाले अपमान और पीड़ायुक्त दासता का जीवन अब वे व्यतीत नही करना चाहते है। जीवन के कष्ट ईश्वरनीय नही बल्कि व्यवस्था की देन है उन्हे ज्ञात हुआ। अनुसूचित जाति वर्ग की स्थिति पहले से उन्नति पर है। समाज के उच्च वर्ग के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगो को पूर्व में हेय दृष्टि से देखा जाता था लेकिन इसमें अब कमी आयी है। अनुसूचित वर्ग की स्थिति पहले से उन्नति पर है। राजनीतिक चेतना के स्थान पर ग्रामों में दलीय भावना उत्पन्न हो गयी है। राजनीतिक चेतना किसी समाज की उन्नति की परिचायक है, किन्तु इस चेतना के साथ पारस्परिक मनो–मालिन्य आदि समाप्त होना चाहिए। अन्यथा समाज कभी उन्नति नही कर पायेगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि धीरे–धीरे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में राजनैतिक जागरूकता आ रही है और परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *भारतीय संतोष, (2008), में दलित अल्पसंख्यक सशक्तिकरण, पृ0 संख्या – 199*
2. *कुमारी गीता – प्रतियोगिता दर्पण, साजिक लेख, बींसवी षताब्दी दलितोद्वार की शताब्दी, पृ0 संख्या 2241*
3. *केतकर, एस0 बी0 हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इण्डिया, न्यूयार्क, 1909*
4. *उत्तराखण्ड : एक समग्र अध्ययन, केशरी नन्दन त्रिपाठी, 2016 पृ0 संख्या– 20*
5. *ध्यानी डॉ0 रामप्रसाद, (1997), उत्तरांचल की खोज, विद्या प्रकाषन मन्दिर लि0, मेरठ पृ0 संख्या 213*
6. *श्रीनिवासन एम0 एन0, कास्ट इन मोर्डन इण्डिया, पृश्ठ संख्या –55*
7. *धुरिये 'कास्ट क्लास एण्ड आक्युपेशन, पौपुलर प्रकाषन, बम्बई 1961*
8. *वर्गेल, ई0 ई0, अरबन सोशियोलॉजी, मैग्रा हिल बुक कम्पनी न्यूयार्क, सन् 1995 पृष्ठ संख्या – 1*
9. *भारतीय संविधान, 1950 अनुच्छेद – 336 (24) ईर्स्टन बुक कम्पनी, लखनऊ*